UPMP010026842026

न्यायालय Adj V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SWAPAN DEEP SINGHAL), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02717**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 938/2026

दीवान सिंह उर्फ पुनीत उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री मोहकम सिंह निवासी ग्राम भदौलपुर थाना बरनाहल जिला मैनपुरी।

..... प्रार्थी/ अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी

दिनांकः– 30.06.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त दीवान सिंह उर्फ पुनीत द्वारा जी.एस.टी सं. 22/20 मुकदमा अपराध सं० 203/2019 अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बरनाहल जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है इलाका पुलिस ने झूंठा फंसा दिया है। प्रार्थी उपरोक्त केस में पूर्व में जमानत पर था, प्रार्थी ने जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी अन्य केस में जिला कारागार मैनपुरी से तलब करके प्रार्थी का दिनांक 03.03.2025 को धारा 309 दं.प्र.सं. का वारंट न्यायालय से बनाया गया। प्रार्थी को इलाका पुलिस ने दुबारा एक मुकदमा लगा दिया था। प्रार्थी जेल चला गया था। जिला जेल मैनपुरी से न्यायालय द्वारा तलब किया गया था। तब दिनांक 03.03.2025 से लगातार जिला जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है और न ही भविष्य में कोई गलती करेगा तथा जमानत पर छूटने के बाद हमेशा न्यायालय में हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा जमानत निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमातनीय वारंट जारी किये गये। प्रार्थी / अभियुक्त वारंट पर दिनांक 03.03.2025 से कारागार में निरूद्ध

है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में अभियुक्त को पुनः जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं। तदानुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा 1,00,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये, साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय का एक बंधपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा व धारा 313 दं.प्र.सं एवं बहस के समय वह व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(स्वपन दीप सिंघल)UP02717
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–05
मैनपुरी।

आशुलिपिकः– निपेन्द्र सिहं

SWAPAN DEEP SINGHAL

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2026.06.30 12:42:15 +0530